



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग-ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
Office of the Executive Engineer, C.D, P.W.D. Ukhimath



E-Mail: ukhimathpwd@yahoo.in

Phone & Fax:- 01364-284239

पत्रांक
सेवा में,

4361

/ 13 ला.

Date 05 / 09 / 2021

उपवन संरक्षक
केदारनाथ, वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद- रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/39084/2019)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं. 8बी./यू.सी.पी./6/179/2020/एफ.सी./98 दिनांक 22-04-2021।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित है:-

शर्त संख्या 1:- वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

शर्त संख्या 2:- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि सौंपे जाने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

शर्त संख्या 3:- प्रतिपूरक वनीकरण-

(क) वन विभाग द्वारा अनुपालन किया जाना है।

(ख) जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के आदेश सं. 5020/छब्बीस-/2020-21 दिनांक 23-07-2021 द्वारा 4.500 हे. ग्राम-न्यालसू (रामपुर) खसरा संख्या 822, 823 में सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। (आदेश की प्रति व खतौनी की नकल संलग्न है)।

(ग) वन विभाग द्वारा अनुपालन किया जाना है।

शर्त संख्या 4:- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।

शर्त संख्या 5:- शुद्ध वर्तमान मूल्य-

(क) एन.पी.वी. के धनराशि मूल्य रु 22350618.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। (NEFT/RTGS प्राप्ति रसीद दिनांक 13-09-2021 संलग्न है)

(ख) एन.पी.वी. के दरों में बढ़ोतरी से सम्बन्धित बचनवृद्धता प्रमाण-पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ सं. 85 में संलग्न हैं (पुनः सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।)

शर्त संख्या 6:- खण्ड द्वारा समरेंखण चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है की मोटर मार्ग निर्माण में न्यूनतम वृक्षों का पातन हो एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 286 Trees का वन विभाग द्वारा छपान के पश्चात वन निगम से कटान ऑफरोड दुलान हेतु प्राप्त डिमाण्ड नोट के अनुसार धनराशि जमा कर दी जायेगी।

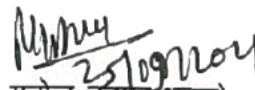
शर्त संख्या 7:- Animal Passage as approved by the Standing Committee of NBWL will be Constructed by user agency under supervision of forest Department.

शर्त संख्या 8:- Wildlife Mitigation Plan may be undertaken under working plan for NPV fund of CAMPA.

96

- शर्त संख्या 9:- खण्ड द्वारा पूर्ण भुगतान ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in>) के माध्यम से जमा किया गया है।
(ऑनलाइन प्रति रसीद सलग्न है)
- शर्त संख्या 10:- खण्ड द्वारा गाइडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार उल्लेखित कार्यों के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।
- शर्त संख्या 11:- खण्ड द्वारा एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
- शर्त संख्या 12:- खण्ड द्वारा आई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।
- शर्त संख्या 13:- खण्ड द्वारा वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियमन साइनेज लगाए जायेंगे।
- शर्त संख्या 14:- लागू नहीं है।
- शर्त संख्या 15:- केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
- शर्त संख्या 16:- खण्ड द्वारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान वनभूमि में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- शर्त संख्या 17:- प्रयोजना में कार्यरत श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से प्रर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिया जायेगा।
- शर्त संख्या 18:- प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।
- शर्त संख्या 19:- खण्ड द्वारा परियोजना के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
- शर्त संख्या 20:- वनभूमि का उपयोग खण्ड द्वारा परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
- शर्त संख्या 21:- केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य ऐजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
- शर्त संख्या 22:- उपरोक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का खण्ड द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
- शर्त संख्या 23:- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर लागू होने वाली निर्धारित शर्तों का खण्ड द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
- शर्त संख्या 24:- खण्ड द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में सलग्न Muck Disposal Plan के अनुसार ही किया जायेगा तथा निस्तारण स्थलों को वनविभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण स्थलों में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
- शर्त संख्या 25:- यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना खण्ड की जिम्मेदारी होगी।
- शर्त संख्या 26:- खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in>) पर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।
- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विषय वर्णित प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
- सलग्न:- उपरोक्तानुसार तीन-तीन प्रतियों में ।

भवदीय,


(इ. मनोज कुमार भट्ट)

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग

ऊखीमत, (रुद्रप्रयाग)

फांक 4361 / 13 C

Date 05 / 09 / 2021

प्रतिलिपि:- ① जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

② उपवन सरसक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि:-

उपजिलाधिकरी को इस आशय से प्रेषित कि सयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त सम्बन्धित रा.उ.नि. को सयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो.नि.वि. ऊखीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

श्री पवन कुमार कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लो.नि.वि. ऊखीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड लो.नि.वि. ऊखीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8/c

हस्ताक्षर

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

:: आदेश ::

अभिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग के पत्रांक 24/13C दिनांक 28-05-2021 के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तमध्य क्षेत्र), देहरादून के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या- 3 (क) के अनुपालन में चयनित सिविल सोयम भूमि ग्राम न्यालसू के खसरा संख्या- 822, 823 में 9.00 है० भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम म्यूटेशन/ नामान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ के पत्र संख्या- 100/२०का०- क्षति०वृ०/(2020-21) दिनांक 22 जून, 2021 को अग्रसारित करते हुये अवगत कराया गया है कि राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि के सापेक्ष, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम न्यालसू (रामपुर) में चयनित 9.000 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम म्यूटेशन किया जाना है। उक्त चयनित भूमि ग्राम न्यालसू के ज०वि०२०- श्रेणी 9(ख)(2)- अन्य प्रकार के जंगल झाड़ियां व लम्बी घास की भूमि की श्रेणी में खतौनी खाता संख्या- 26 के खसरा संख्या 822 रकवा 5.437 है० मध्ये सम्पूर्ण रकवा 5.437 है० तथा खसरा संख्या- 823 रकवा 3.794 है० मध्ये 3.563 है० कुल 9.000 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है।

अतः शारनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र फाटा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम न्यालसू के खतौनी खाता संख्या- 26 के खसरा संख्या 822 रकवा 5.437 है० मध्ये सम्पूर्ण रकवा 5.437 है० तथा खसरा संख्या- 823 रकवा 3.794 है० मध्ये 3.563 है० कुल 9.000 है० चयनित भूमि को उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/ नामान्तरित एवं अमलदरामद करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक-22-07-2021



ह०/-
(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

Let $\mathcal{G}$ be a graph

(55)

1923

(55)

[illegible]

[Handwritten signature]

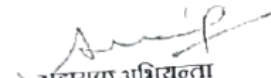
~~10/1/14~~
~~10/1/14~~
A. 12.08
Q. 5.11.20

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रिसुणीनायण से तोपी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है। वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीगढ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीगढ (रुद्रप्रयाग)


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीगढ (रुद्रप्रयाग)

P.C Attested


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीगढ (रुद्रप्रयाग)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

at 19-08-2021

Agency Name.	EECDPWOUKM
Application No.	6139084895
State Code.	UK
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(in Rs)	22350618/-

Amount in Words :Two Crore Twenty-Three Lakh Fifty
Thousand Six Hundred and Eighteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6139084895
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0534498

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-08-2021

Agency Name.	EECDPWOUKM
Application No.	6139084895
State Code.	UK
Address:	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, RUDRAPRAYAG Rudraprayag
Amount(in Rs)	22350618/-

Amount in Words :Two Crore Twenty-Three Lakh Fifty
Thousand Six Hundred and Eighteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6139084895
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0534498

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: ubicampa@unionbankofindia.com